न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 09/2022

असरी पत्नी खुर्शीद जाति मेव निवासी भुआपुरगढी तहसील नगर (भरतपुर)

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. सुमरी पुत्री रहीमबक्स जाति मेव निवासी जोतगामेती तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

3. महरम पत्नी हाकमदीन जाति मेव निवासी निवाली तहसील रामगढ अलवर
4. रबीना पत्नी कमरूद्दीन जाति मेव निवासी झंझार तहसील नगर
5. हफीजन पत्नी इलियास जाति मेव निवासी भुआपुरगढी तहसील नगर

तरतीवी पक्षकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री यशपाल सैनी अप्रार्थी संख्या 2

दिनांक :–27/06/2022

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111, 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 590/0.15, 591/0.46 बांके ग्राम जोतगामेती तहसील पहाडी में स्थित है जमाबन्दी में दर्ज अन्य सहखातेदार वक्त दायरी प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके इसलिए उन्हे मुकदमें में तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। जिनके हक व अधिकार प्रार्थीया के हित व अधिकारों के समान है। आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 की प्रार्थीया व तरतीवी पक्षकार खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं । जो मौके पर पापडा से गोपालगढ जा रही सडक के सटमा स्थित है और प्रार्थीया व तरतीवी पक्षकार अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काफी अरसे से काबिज रहकर निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी उसी जगह काबिज काश्त है। लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा मौका व कब्जा की जाँच पडताल व जानकारी नहीं की गई और बिना मौका व कब्जा की जाँच पडताल के रिकॉर्ड में मौका व कब्जा के खिलाफ गलत तरमीम कायम करदी गई और प्रार्थीया व तरतीवी पक्षकार की खातेदारी की आराजी को उक्त सडक के सहारे रिकॉर्ड में अंकित करने की वजाय बंध के सहारे अंकित कर रिकॉर्ड में गलत तरमीम कायम

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

करदी। जो कि खिलाफ कानून कब्जा व मौका है। जिसे दुरूस्त कराकर प्रार्थीया रिकॉर्ड मौका व कब्जानुसार सही तरमीम कायम कराने का पूर्ण अधिकारी है। रिकॉर्ड में गलत तरमीम की जानकारी प्रार्थीया व तरतीवी पक्षकार को नकल रिकॉर्ड लेने पर हुई तो प्रार्थीया व तरतीवी पक्षकार अप्रार्थी संख्या 1 के यहां रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने बाबत उपस्थित हुये तो उन्होने दुरूस्ती करने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि न्यायालय श्रीमान के आदेश लेकर आयो। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा रिकॉर्ड में मौका व कब्जा के खिलाफ की गई गलत तरमीम को दुरूस्त कर मौका व कब्जानुसार सही तरमीम कायम करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया मौका पर्चा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम जोतगामेती के आराजी खसरा नम्बर 590/0.15, 591/0.46 के मौके पर उपस्थित हुआ मौका स्थिति निम्नानुसार है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 से स्थायी के आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 हफीजन पुत्री इलियास, रबीना पत्नी कमरूद्दीन, असरी पत्नी खुर्शीद, महरम पत्नी हाकमदीन के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जो मुताबिक नक्शा के आराजी खसरा नम्बर 591 के उत्तर दिशा में है। जो बंध से लगा हुआ है। यहाँ पर जन्नती पत्नी तैय्यब , फरमीना पत्नी लुकमान खां , सुमरी पुत्री रहीमबक्श का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 591/0.46 जन्नती पत्नी तैय्यब हिस्सा 5/92, फरमीना पत्नी लुकमान खां हिस्सा 5/92 , सुमरी पुत्री रहीमबक्स हिस्सा 41/46 दर्ज रिकॉर्ड है। जो मौके पर बंध से लगा हुआ है मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 591/0.46 जन्नती पत्नी तैय्यब हिस्सा 5/92, फरमीना पत्नी लुकमान खां हिस्सा 5/92 , सुमरी पुत्री रहीमबक्स हिस्सा 41/46 दर्ज रिकॉर्ड है। जो मुताबिक नक्शा के आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 के दक्षिण दिशा में है जो मुख्य सडक से लगा हुआ है। जबकि मुताबिक मौका आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 मुख्य सडक से लगा हुआ है। जिस पर हफीजन पत्नी इलिसाय, रबीना पत्नी कमरूद्दीन, असरी पत्नी खुर्शीद, मरहम पत्नी हाकमदीन कब्जा है। जिस पर उन्होने वर्तमान में सरसों की फसल बोई हुई है।

उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति जाहिर की कि उक्त रिपोर्ट तहसीलदार साहब पहाडी ने बिना किसी सूचना के तैयार की है। जो कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। मामला अचल सम्पत्ति से संबन्धित है इसलिए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में आराजी मुत0 बाबत मौका रिपोर्ट तहसीलदार साहब द्वारा तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आराजी मुत0 की बाबत पुनः दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाई जावें। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के संबन्ध में तहसीलदार पहाडी से पुनः मौका पर्चा रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार पहाडी अपनी रिपोर्ट दिनांक 31/05/2022 से अवगत कराया कि आराजी खसरा नम्बर 590/0.15, 591/0.46 बांके ग्राम जोतगामेती तहसील पहाडी के मौके पर उपस्थित हुआ जिसकी मौका स्थिति निम्नानुसार है । मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

(जमाबन्दी सम्वत 2076 से स्थायी) के आराजी खसरा नम्बर 590 हफीजन पत्नी इलियास रबीना पत्नी कमरूद्दीन असरी पत्नी खुर्शीद, महरम पत्नी हाकमदीन के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो मुताबिक नक्शा के आराजी खसरा नम्बर 591 के उत्तर दिशा में है। जो बंध से लगा हुआ है। यहाँ पर जन्नती पत्नी तैय्यब , फरमीना पत्नी लुकमान खां, सहरूना पत्नी मुस्तफा, सुमरी पुत्री रहीमबक्स का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 591/0.46 जन्नती पत्नी तैय्यब हिस्सा 5/92 , फरमीना पत्नी लुकमान खां हिस्सा 5/92 सहरूना पत्नी मुस्तफा हिस्सा 3/46, सुमरी पुत्री रहमीबक्स हिस्सा 19/23 दर्ज रिकॉर्ड है। जो मौके पर बंध से लगा हुआ है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नम्बर 591/0.46 जन्ती पत्नी तैय्यब 5/92 , फरमीना पत्नी लुकमान खां हिस्सा 5/92, सहरूना पत्नी मुस्तफा हिस्सा 3/46, सुमरी पुत्री रहीमबक्स हिस्सा 19/23 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो कि मुताबिक नक्शा के आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 के दक्षिण दिशा में है जो मुख्य सडक गोपालगढ–जोतरूहल्ला मार्ग से लगा हुआ है। जबकि मुताबिक मौका आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 मुख्य सडक गोपालगढ–जोतरूहल्ला मार्ग से लगा हुआ है जिस पर हफीजन पत्नी इलियास, रबीना पत्नी कमरूद्दीन, असरी पत्नी खुर्शीद व महरम पत्नी. हाकमदीन का कब्जा है। जिस पर सम्वत 2078 रबी में सरसों की फसल प्रार्थीया द्वारा बोई गई थी अप्रार्थी को दूरभाष सम्पर्क करके मौके पर बुलाया गया लेकिन उपस्थित नहीं हुयें।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया असरी द्वारा प्रार्थना पत्र तंग व परेशान करने की गरज से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिले खारिजी है। प्रार्थीया सुमरी की आराजी खसरा नम्बर 591/0.46 है जो हाल मौके पर गोपालगढ पापडा जाने वाली सडक के सटमा बुजुर्गो के समय से ही स्थित है बुर्जुगो के समय से ही सुमरी आराजी मुत0 सडक के सटमा अपने रकबे पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है तथा आज भी काबिज है। जबकि असरी की आराज खसरा नम्बर 590 प्रारम्भ से ही बंध के पास स्थित है। बंध के पास स्थित भूमि पर ही काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा हाल मौका कब्जा काश्त की सही जाँच पडताल कर सही तरमीम की गई है। असरी ने सडक के सहारे स्थित प्रार्थीया सुमरी की भूमि को हडपने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारिजी है। असरी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 590, 591 की तरमीम शुद्धी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें खसरा नम्बर 591 के समस्त सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जबकि विवादित खसरा नम्बर 591 में जन्नती पत्नी तैय्यब का 5/92 हिस्सा, फरीना पत्नी लुकमान खां का 5/92 हिस्सा नियत है। मुताबिक कानून आराजी मुत0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर देने व अपना पक्ष रखने हेतु पक्षकार मुकदमा असल बनाया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है। पक्षकार असल ना बनाया जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की घोर अवहेलना की है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र मैनटेबिल ना होने के कारण खारिज योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि असरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (उप जिला कलेक्टर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया एवं वकील अप्राथी संख्या 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका पर्चा रिपोर्ट/जबाब तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण नक्शा शुद्धि का है। आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 की प्रार्थीया व तरतीवी पक्षकार खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं। आराजी खसरा नम्बर 591/0.46 अप्रार्थीया खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं। आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 मुताबिक नक्शा के आराजी खसरा नम्बर 591 के उत्तर दिशा में है। जो बंध से लगा हुआ है। एवं आराजी खसरा नम्बर 591/0.46 मुताबिक नक्शा के आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 के दक्षिण दिशा में है जो मुख्य सडक से लगा हुआ है। परन्तु मौके की स्थिति पूर्णत विपरीत है। मौके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 सड़क से लगा हुआ है। एवं आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 के उत्तर दिशा में आराजी खसरा नम्बर 591/0.46 स्थित है। जो कि बन्ध से लगा हुआ है। प्रकरण में पूर्ववर्ती रिपोर्ट पर आपत्ति होने पर पुनः रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है। दुसरी मौका रिपोर्ट में भी मौके के स्थिति एक समान प्रकट हुई है।

हाल नक्शें में प्रार्थीया व तरतीवी पक्षकार की आराजी खसरा संख्या 590/0.15 को सड़क से हटकर प्रर्दशित कर दिया गया है। एवं अप्रार्थीया की आराजी खसरा संख्या 591/0.46 को सड़क से लगता प्रर्दशित कर दिया गया है। जबकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट खसरा संख्या 590/0.15 मौके पर सड़क से लगते हुआ है। एवं आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 के उत्तर दिशा में आराजी खसरा नम्बर 591/0.46 स्थित है। जो कि बन्ध से लगा हुआ है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 प्रार्थीया के खसरा नम्बर 590/0.15 है0 को सडक से लगता हुआ व अप्रार्थीया की आराजी खसरा संख्या 591/0.46 को आराजी खसरा नम्बर 590/0.15 के उत्तर दिशा में दर्शाकर संशोधित किया जावें। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)